मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—

क0 544 /59/18/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 04 /05/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास,जल संसाधन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास में पूंजीगत व्यय सीमा का निर्धारण।

संदर्भः–इस विभाग का परिपत्र कमांक 445/587/17/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 09/04/2018 एवं 467/587/17/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 20/04/2018 ।

संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मासिक/त्रैमासिक व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। निर्माण विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु प्रथम त्रैमास के माह मई 2018 हेतु निम्न तालिका अनुसार सीमा निर्धारित की जाती है :–

(राशि करोड़ रू.में)

स. क.	विभाग का नाम	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	माह मई हेतु निर्धारित सीमा
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	नर्मदा घाटी विकास (सरदार सरोवर परियोजना को छोड़कर)	48	4700	**450**
2	जल संसाधन	23,45	4700,4701,4702,4705	**750**
3	लोक निर्माण	24,67	4059,5054, 4216	**750**
4	लोक स्वा.यांत्रिकी	20	4215	**300**

2. कण्डिका 1 के तारतम्य मे वित्त विभाग के पत्र कमांक 467/587/17/ब–1/चार, दिनांक 20/04/2018 के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा विभाग तालिका के कॉलम 5 में निर्धारित सीमा तक व्यय कर सकेंगे। विभागों को इस व्यय सीमा के अन्तर्गत योजनावार सीमा तय करने के अधिकार होंगे।

निरन्तर.....

3. राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एल 1–10/832/2017/ब–7/डीएमसी /चार, दिनांक 10/04/2018 यथावत लागू रहेगा।

4/5/18
(अजीत कुमार)
संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क0 545 /59/18/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 04/05/2018
प्रतिलिपिः–

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग